राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] दसवीं विधान सभा के आठवें सत्र का पहला दिवस [संख्या : 1

सोमवार,

20 जनवरी, 1997

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.42 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण तो हुआ ही नहीं। (व्यवधान)

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(माननीय सदस्य श्री रामस्वरूप मीणा ने सचिव, राजस्थान विधान सभा के हाथ से कागजात छीने)

श्री अध्यक्ष : राष्ट्र-गान चालू करो। यह क्या कर रहे हो ? (व्यवधान) राष्ट्र-गान चालू करो न। (व्यवधान)... बिराजें। आप बिराज जाएं।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

राष्ट्र-गीत

(वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम्। मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम् वरदाम् मातरम।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।)

बिराजिये, बिराजिये। आप बिराज जाएं। (व्यवधान) बैठें आप। कृपया बिराजें आप। (व्यवधान)

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

पत्रादि रखो न आप जल्दी। (व्यवधान) मेज पर रखो।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

(अभिभाषण की प्रति के लिए परिशिष्ट–1 देखें)

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष : सचिव, विधान सभा विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे। (व्यवधान) श्री ललितकिशोर जी चतुर्वेदी।

अध्यादेश

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान

विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का अध्यादेश संख्या–2) सदन की मेज पर रखता हूं।

शोकाभिव्यक्ति

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्यमंत्री): अध्यक्ष महोदय, गत सत्र और इस सत्र के बीच में हमारे देश के अनेक महानुभावों का देहान्त हो गया है। मैं सदन के सामने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके नाम हैं :– डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी, श्री नाथूराम जी मिर्धा, श्री लूणाराम जी, श्री महेन्द्रसिंह जी पंवार, श्री आईदान सिंह जी, श्री बृजबल्लभ जी बोहरा, श्री दुर्जन सिंह जी, श्रीमती अरुणा आसफ अली, श्री शिव वर्मा, डॉ. दत्ता सामन्त, श्री अशोक सैन, श्री नाथूलाल जी जैन, श्री बिशनसिंह जी शेखावत, श्री मेघराज मुकुल।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन दिवंगत आत्माओं के प्रति अपने दल की ओर से और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता। (व्यवधान)

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सदस्य, दो मिनट मौन खड़े रहकर श्रद्धांजलि देंगे उसके पश्चात् कार्यवाही स्थगित।

(माननीय सदस्यों ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं की शांति के लिये प्रार्थना की।)

सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 21 जनवरी, 1997 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 11.46 बजे मंगलवार, 21 जनवरी, 1997 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति

माननीय सदस्यगण,

दसवीं विधान सभा के आठवें सत्र को सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है। मैं आप सबका स्वागत करते हुए आपको नववर्ष की बधाई देता हूं तथा आपके माध्यम से राज्य की जनता को भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

2. जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है चालू वर्ष आठवीं योजना का अन्तिम वर्ष है। राज्य सरकार ने आठवीं योजना के प्रारम्भ में योजनागत विनियोग में कीर्तिमान वृद्धि करने का दृढ़ निश्चय किया था और अब मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इन 5 वर्षों में इस मनोरथ को पूरा करने में पूर्ण सफलता मिली है। राजस्थान देश के उन गिने-चुने प्रदेशों में है जिन्होंने अपनी योजना को न केवल पूरी तरह पोषित किया है अपितु उसमें वृद्धि भी की है। 1966 से 1992 की अवधि में सामान्य श्रेणी के 15 राज्यों के औसत प्रति व्यक्ति विनियोजन से राजस्थान में प्रति व्यक्ति विनियोजन कम था, परन्तु आठवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में प्रति व्यक्ति विनियोजन में काफी अधिक वृद्धि होने से अब स्थिति बदल गई है। जहां 15 राज्यों में औसत विनियोजन लगभग 2101 रुपये प्रति व्यक्ति है वहीं राजस्थान में प्रति व्यक्ति विनियोजन 2613 रुपये हो गया है। वार्षिक योजना के आकार में 1992 में राजस्थान का देश में 11वां स्थान था। 1995–96 तक योजना व्यय की दृष्टि से देश में चौथा स्थान रहा। आप सबके सहयोग से सरकार ने इस कठिन लक्ष्य की पूर्ति की और राज्य के विकास को एक नई दिशा दी। मैं इस महती उपलब्धि के लिये आपको तथा आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं।

3. 3000 करोड़ रुपये की सातवीं योजना की तुलना में 11500 करोड़ रुपये की राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना जब बनी थी तब कई जगहों से यह शंका व्यक्त की गई थी कि राजस्थान सरीखा पिछड़ा प्रदेश इतनी बड़ी योजना के संकल्प को पूरा कर पायेगा या नहीं। मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने न केवल 11500 करोड़ रुपये की योजना का पूरी तरह पोषण किया बल्कि इसका आकार भी बढ़ा कर 12000 करोड़ रुपये कर दिया। देश में सामान्य श्रेणी के राज्यों में राजस्थान सहित केवल 4 राज्य ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में आवंटित योजना राशि का पूरी तरह पोषण किया है।

4. राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है। राज्य के तीन-चौथाई लोग कृषि एवं सम्बद्ध कार्यों से अपना जीवन यापन करते हैं। पानी की कमी तथा अकाल की स्थिति से राज्य के किसानों को जूझना पड़ता है अतः कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों को आठवीं योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। जहां

सातवीं योजना में इन क्षेत्रों पर 203 करोड़ रुपये ही खर्च किये गये थे वहां आठवीं योजना में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों पर 1150 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है जो पिछली योजना के व्यय से 467 प्रतिशत अधिक है। अधिक विनियोग के फलस्वरूप राज्य के कृषि उत्पादन में स्थायित्व आया है। जहां सातवीं योजना में औसतन 77 लाख टन खाद्यानों का वार्षिक उत्पादन होता था वहीं आठवीं योजना में खाद्यानों का वार्षिक औसत उत्पादन 103 लाख टन रहा जो पिछली योजना के औसत वार्षिक उत्पादन से 34 प्रतिशत अधिक है। कृषि क्षेत्र में आठवीं योजना की एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि तिलहन उत्पादन में कीर्तिमान वृद्धि होने की रही है। सातवीं योजना में तिलहन का औसतन 13 लाख टन उत्पादन प्रतिवर्ष होता था। आठवीं योजना में यह उत्पादन बढ़कर लगभग 30 लाख टन प्रतिवर्ष हो गया। सातवीं योजना के प्रारम्भ में तिलहन उत्पादन में राजस्थान का देश में छठा स्थान था। उत्पादन वृद्धि के फलस्वरूप अब तिलहन उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है।

5. सातवीं योजना में राज्य में कपास की औसतन 6 लाख गांठों का उत्पादन प्रतिवर्ष हुआ करता था। आठवीं योजना में कपास का औसतन वार्षिक उत्पादन 11 लाख गांठों का रहा जो पूर्व औसत से 83 प्रतिशत अधिक है।

6. आठवीं योजना में राज्य में रासायनिक खाद की खपत में भी कीर्तिमान वृद्धि हुई। सातवीं योजना की अवधि में कुल 28 लाख टन रासायनिक खाद की खपत की तुलना में आठवीं योजना में 61 लाख टन खाद की खपत हुई। इस प्रकार सातवीं योजना की तुलना में आठवीं योजना में रासायनिक खाद की खपत में 115 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि इस अवधि में रासायनिक खाद की खपत में राष्ट्रीय वृद्धि केवल 30 प्रतिशत रही। राजस्थान में पानी की कमी है अतः किसानों को जल के कुशलतम उपयोग के लिये प्रेरित किया गया। सातवीं योजना में जहाँ 3100 फव्वारा सिंचाई सेट प्रदेश में लगे थे वहीं आठवीं योजना में 74,000 फव्वारा सिंचाई सेट लगाये जाने का अनुमान है।

7. सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सरकार ने किसानों को ऋण उपलब्ध कराने का विशेष प्रयास किया। सातवीं योजना की अवधि में किसानों को 473 करोड़ रुपये का फसली ऋण उपलब्ध कराया गया था। इसकी तुलना में आठवीं योजना में अब तक 1664 करोड़ रुपये का फसली ऋण उपलब्ध कराया गया जो पूर्व योजना काल में वितरित ऋण से 260 प्रतिशत अधिक है। आठवीं योजना में अब तक 522 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया गया है जो सातवीं योजनाकाल में दिये गये ऋण के चार गुणा से भी अधिक है। इसी प्रकार पूर्व योजना में दिये गये 23 करोड़ रुपये के मध्यकालीन ऋण की तुलना में आठवीं योजना के दौरान सहकारी संस्थाओं द्वारा 175 करोड़ रुपये के मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराये गये। ऋणों के वितरण में यह वृद्धि सरकार के लिये संतोष का विषय है।

8. राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बारानी फसल होती है। आठवीं योजना में जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत जलसंग्रह विकास की 71 करोड़ रुपये की योजना लागू की गई एवं राष्ट्रीय जलग्रहण विकास क्षेत्र कार्यक्रम की क्रियान्विति भी कुशलतापूर्वक की गई। आठवीं योजना में जलग्रहण विकास कार्यक्रमों पर नवम्बर 96 तक 187 करोड़ रुपये खर्च किये गये जब कि सातवीं योजना में इन कार्यक्रमों पर केवल 55 करोड़ रुपये ही व्यय हुए थे। मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम ने लगातार 4 बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने की उपलब्धि अर्जित की है। नवीं पंचवर्षीय योजना में जलग्रहण विकास कार्यक्रम की वर्तमान गति को और बढ़ाया जायेगा ताकि बारानी क्षेत्रों के किसानों का विशेष हित साधन हो सके।

9. आठवीं योजना में प्रबन्ध एवं व्यवसाय में सुधार कर राज्य भण्डार निगम, राज्य बीज निगम व राज्य बीज प्रमाणीकरण अभिकरण को विशेष लाभ की स्थिति में लाया गया।

10. सरकार ने पशुपालन पर भी विशेष ध्यान दिया है। गोपाल योजना के अन्तर्गत 1609 स्थानीय युवकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा उन्हें पशु नस्ल विकास हेतु सहायता दी गई। 21 जिलों में स्थानीय नस्ल सुधार के लिये एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम व 5 अन्य जिलों में देशी गोवंश सुधार कार्यक्रम लागू किया गया है। राजस्थान सहकारी दुग्ध संघ के माध्यम से भी 4 जिलों में सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाये गये हैं। पशुपालन विभाग, भेड़ एवं ऊन विभाग एवं मत्स्य विभाग पर सातवीं योजना में जहां 26 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे वहीं आठवीं योजना में 72 करोड़ रुपये खर्च किये गये। राष्ट्रीय दुग्ध विकास मण्डल के सहयोग से राज्य के दुग्ध विकास कार्यक्रम में सुधार लाया गया। मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि जहां 1992–93 में सहकारी क्षेत्र में 3.32 लाख लीटर दुग्ध का संकलन प्रतिदिन होता था वहीं चालू वर्ष में औसतन 5.50लाख लीटर दुग्ध संकलन प्रतिदिन राज्य में दुग्ध विपणन की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण भी किया गया है। नवीं योजना में नस्ल सुधार एवं दुग्ध संकलन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ताकि पशु पालन से किसानों की आर्थिक सुरक्षा हो सके।

11. राज्य में वनों के विकास पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। जहां सातवीं योजना में वन विकास पर 156 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई थी वहीं आठवीं योजना में 604 करोड़ रुपये की राशि व्यय किया जाना अनुमानित है। ओ.ई.सी.एफ. जापान की सहायता से 423 करोड़ रुपये की वन विकास की तीन बड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन आठवीं योजना की अवधि में किया गया। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उपग्रह से प्राप्त सूचना के अनुसार 1991–95 की अवधि में राज्य में वृक्षाच्छादित क्षेत्र में 396 वर्ग कि.मी की अभिवृद्धि हुई। इस अवधि में वन क्षेत्र की अभिवृद्धि करने में देश के सामान्य श्रेणी के 15 बड़े राज्यों

में राजस्थान का दूसरा स्थान है । इस विशेष उपलब्धि के लिये मैं आप सबको बधाई देता हूं। इस वर्ष 82,343 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया गया है। वन विकास कार्यों में 115 करोड़ रुपये के व्यय होने से इस वर्ष 280 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

12. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा 4034 मेगावाट की बिजली योजनाएं निजी क्षेत्र में लगाने के लिए निजी उद्यमियों से ऊर्जा खरीद समझौते किये गये । 1415 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए राज्य को भारत सरकार ने तरल ईंधन आवंटित किया। विभिन्न उद्यमियों को जिनके साथ इकरार पत्र अनुबन्धित किये गये थे, इस तरल ईंधन का आवंटन कर दिया है। आशा है कि 1998 तक इन परियोजनाओं में बिजली उत्पादन हो सकेगा।

13. सूरतगढ़ तापीय परियोजना की 250 मेगावाट की प्रथम इकाई में 1300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की तुलना में इस वर्ष के अन्त तक 1043 करोड़ रुपये की राशि व्यय होकर अगले वर्ष उत्पादन होना सम्भावित है।

14. राज्य में विद्युत की कमी की आपूर्ति केन्द्रीय अभिकरणों तथा अन्य राज्यों से बिजली खरीद कर की गई। दिसम्बर में उत्तरी ग्रिड में व्यवधान आ जाने से विद्युत की आपूर्ति में काफी कमी हुई, जिसके फलस्वरूप उत्तरी भारत के सभी राज्यों में विद्युत का संकट उत्पन्न हुआ। स्थिति अब धीरे-धीरे सामान्य हो रही है।

15. ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिये राज्य सरकार द्वारा एक नीति तैयार की गई है। ऊर्जा के क्षेत्र में स्वतन्त्र नियंत्रक की स्थापना के लिये एक बिल भी इस सत्र में सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

16. आठवीं योजना में 259 मेगावाट बिजली की अतिरिक्त क्षमता सृजित की गई तथा शेष कमी की आपूर्ति केन्द्रीय ऊर्जा संयंत्रों से व अन्य राज्यों से बिजली खरीदकर की गई। जहां सातवीं योजना में उपभोक्ताओं को 30 बिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध कराई गई थी वहीं आठवीं योजना में 61 बिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार बिजली आपूर्ति में लगभग 100 प्रतिशत वृद्धि हुई। गैस की उपलब्धि नहीं होने से अंता, औरिया व दादरी में विद्युत उत्पादन घटने से प्रदेश में प्रतिदिन 60 लाख यूनिट बिजली की कम आपूर्ति हो रही है। कोटा की पांचवीं इकाई में कुछ तकनीकी गड़बड़ी होने से उत्पादन बन्द करना पड़ा है। सरकार ने उद्योगों पर शत-प्रतिशत पावर कट लगाकर भी किसानों की आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास किया है।

17. सातवीं योजना में जहां 79838 कुओं का विद्युतीकरण किया गया था वहीं आठवीं योजना में 1.22 लाख कुओं का विद्युतीकरण किया गया। चालू वर्ष में नवम्बर तक 19577 कुओं का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मार्च 1997 तक 25000 कुओं का विद्युतीकरण होने की

आशा है। प्रसारण तंत्र के आधुनिकीकरण व सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। सातवीं योजना में 220 के. वी. का केवल एक स्टेशन स्थापित हुआ था। आठवीं योजना में ऐसे 14 स्टेशन स्थापित हो जावेंगे। आठवीं योजना की अवधि में 132 के.वी. के 55 ग्रिड स्टेशन एवं 33 के.वी. के 300 ग्रिड स्टेशन स्थापित हो जायेंगे।

18. केन्द्र सरकार व उसकी एजेन्सियों द्वारा ऊर्जा योजनाओं की स्वीकृति देने में विलम्ब के कारण देश में ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ है। राज्य में विद्युत उत्पादन एवं वितरण का सम्पूर्ण दायित्व राज्य सरकारों का है इसलिये इसमें केन्द्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। पर्यावरण एवं तकनीकी दृष्टि से स्वीकृति देने के सभी निर्णय राज्य सरकार पर ही होने चाहिये। राज्य सरकार के इस अनुरोध को केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक पूरी तरह से नहीं माना गया है। राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि वह अन्य राज्य सरकारों से मिलकर केन्द्र सरकार पर दबाव डाले कि ऊर्जा परियोजनाओं की स्वीकृति आदि से सम्बन्धित सभी अधिकार राज्य सरकार को दिये जायें।

19. केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्यों को भविष्य में ऊर्जा संयंत्रों द्वारा बिजली नकद भुगतान के आधार पर ही दी जायेगी। जिन राज्यों के पास पैसा होगा वे ही नकद भुगतान कर इन संयंत्रों से बिजली ले सकेंगे। केन्द्रीय संयंत्रों की बकाया राशि को राज्यों की योजना सहायता में से काटने का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय भी भारत सरकार ने लिया है। इस निर्णय से केन्द्र व राज्य सरकारों के आपसी सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

20. आठवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के औद्योगीकरण में उल्लेखनीय प्रगति अर्जित की गई। औद्योगिक विकास के लिये आधारभूत सुविधाओं के सृजन पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में अब तक 27 औद्योगिक क्षेत्र एवं 5705 औद्योगिक भूखण्ड विकसित किए गये। आधारभूत सुविधाओं के विकास पर रीको ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में दिसम्बर, 1996 तक 281 करोड़ रुपये व्यय किये जबकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस मद में केवल 24 करोड़ रुपये ही खर्च किये थे। उद्योगों की स्थापना हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में रीको द्वारा 303 करोड़ रुपये तथा राजस्थान वित्त निगम द्वारा 750 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया जबकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन संस्थाओं द्वारा क्रमश: 107 करोड़ रुपये व 439 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा औद्योगिक विकास पर 100 करोड़ रुपये का व्यय किया गया जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना में 506 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

21. आठवीं पंचवर्षीय योजना में नवम्बर, 1996 तक राज्य में लघु औद्योगिक इकाइयों में 900 करोड़ रुपये तथा वृहद् एवं मध्यम इकाइयों में 9832 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन हुआ जबकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन वर्गों में

क्रमशः 329 करोड़ रुपये व 2130 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन ही हुआ था।

22. वर्ष 1994 में प्रदेश में नई औद्योगिक नीति लागू की गई जिसमें प्रक्रियाओं के सरलीकरण, निर्यात प्रोत्साहन, कच्चे माल की प्रोसेसिंग आदि पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके फलस्वरूप प्रदेश में औद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण बना है। उद्यमियता आपन प्रस्तुत करने में राजस्थान का देश में सातवां स्थान है। आठवीं योजना के अनुभव के आधार पर सरकार अगले वर्ष नई औद्योगिक नीति लागू करेगी ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग लग सकें। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश से होने वाले निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई है। जहां वर्ष 90–91 में 421 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था इस वर्ष 4000 करोड़ रुपये के निर्यात का अनुमान है। आठवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में प्रदेश से 8503 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है। निर्यात को और अधिक बढ़ावा देने के लिये सरकार ने जयपुर में एक औद्योगिक निर्यात संवर्धन पार्क की स्थापना की है। इसकी प्रगति से प्रभावित होकर भारत सरकार ने प्रदेश को एक और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क हेतु सहायता देने का आश्वासन दिया है। जोधपुर में एक इन-लेण्ड कन्टेनर डिपो खोला गया है। भील-वाड़ा व भिवाड़ी–अलवर में भी इसी प्रकार के डिपो खोले जाने प्रस्तावित हैं। केन्द्रीय भण्डार निगम द्वारा उदयपुर और कोटा में इनलेण्ड कन्टेनर डिपो खोले जा रहे हैं। इनके फलस्वरूप प्रदेश से निर्यात में और अधिक वृद्धि होगी। जयपुर हीरे और जवाहरात व्यवसाय का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः सरकार ने जयपुर में सिटी क्षेत्र में हीरे जवाहरात का एक विशेष बाजार स्थापित करने का निर्णय लिया है।

23. प्रबन्ध एवं व्यवसाय में सुधार करके राज्य लघु उद्योग निगम को घाटे से लाभ की स्थिति में लाया गया है। खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से आठवीं योजना में नवम्बर 1996 तक 1258 करोड़ रुपये के माल का उत्पादन हुआ जबकि सातवीं योजना में 721 करोड़ रुपये का ही उत्पादन हुआ था।

24. खनिजों का राज्य की अर्थ-व्यवस्था में विशेष स्थान है। खनिज विकास के लिये सरकार द्वारा 1994 में नई खनिज नीति लागू की गई। सातवीं योजना में खनिज से 303 करोड़ रुपये आय की तुलना में आठवीं योजना में लगभग 716 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई। सातवीं योजना में राजस्थान राज्य माइन्स एवं मिनरल लिमिटेड द्वारा 7 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया गया जबकि आठवीं योजना में इस उपक्रम के द्वारा 58 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित होने का अनुमान है।

25. इस वर्ष 3 नये सीमेन्ट प्लान्ट व 4 विस्तार इकाइयों में उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है। 3000 करोड़ रुपये की लागत के 8 नये सीमेन्ट प्लान्टों के खनन पट्टों के लाइसेन्स देने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं।

26. शैल इन्टरनेशनल द्वारा बाड़मेर-सांचोर क्षेत्र में तेल व गैस की खोज की जा

रही है। इसके अच्छे परिणाम मिलने की आशा है। इसी प्रकार एस्सार ऑयल, फिनिक्स ओवरसीज, आकलैण्ड इन्टरनेशनल एवं रिलायन्स ग्रुप द्वारा भी राज्य में खनिज तेल की खोज के लिये भारत सरकार से इकरार पत्र किये गये हैं। आशा है अगले 2–3 वर्षों में इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे।

27. शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान देश के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। यह हम सब के लिये चिन्ता का विषय है। 1991 की जनगणना के अनुसार 52 प्रतिशत की राष्ट्रीय साक्षरता दर की तुलना में राजस्थान की साक्षरता दर 38 प्रतिशत थी। आठवीं योजना में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। जहां सातवीं योजना में शिक्षा पर 286 करोड़ रुपयों का व्यय हुआ था वहीं आठवीं योजना में 1039 करोड़ रुपये व्यय किये गये। 250 की आबादी वाले सामान्य क्षेत्रों के सभी गांवों में तथा 150 की आबादी वाले रेगिस्तानी व जनजाति क्षेत्रों के समस्त गांवों में प्राथमिक शालाएं खोल दी गई हैं। हर पंचायत क्षेत्र में कम से कम एक उच्च प्राथमिक पाठशाला खोलने का लक्ष्य रखा गया है। सातवीं योजना में खोले गये 1900 प्राथमिक विद्यालय की तुलना में आठवीं योजना में 5730 प्राथमिक विद्यालय खोले गये। इसी प्रकार इस अवधि में 1590 उच्च प्राथमिक विद्यालय के स्थान पर 2649 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये।

28. प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए पांचवीं कक्षा तक के छात्रों तथा आठवीं कक्षा तक की छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले तीन वर्षों में इस पर 38 करोड़ रुपये व्यय किये गये तथा इससे 160 लाख छात्र–छात्राएं लाभान्वित हुए। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये 128 विकास खण्डों में शिक्षाकर्मी योजना लागू की गई है तथा 58 विकास खण्डों में लोकजुम्बिश कार्यक्रम लागू किया गया।

29. प्रत्येक बालक के जीवन में स्कूल में प्रथम प्रवेश का दिन अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। इस अवसर को सुखद बनाने के लिये पाठशाला में जा रहे बच्चों पर समुदाय का ध्यान केन्द्रित करने के लिये 8 से 15 जुलाई तक राज्य में "शाला प्रवेशोत्सव" मनाया गया। अध्यापक छात्रों के साथ मित्रवत् व्यवहार करें और शिक्षा प्राप्त करना रुचिकर हो, इस उद्देश्य से यूनीसेफ की सहायता से राज्य के 10 जिलों टोंक, पाली, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमन्द, बून्दी, जालौर, भीलवाड़ा, सिरोही एवं उदयपुर में गुरुमित्र योजना लागू की गई।

30. राज्य के सभी जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया है। अगले सत्र से कुछ जिलों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने का भी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है।

31. राज्य में महिला शिक्षा की स्थिति चिन्तनीय है। अतः नवीं योजना में सरकार द्वारा महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये प्रवेश में जो उत्साह बना है उसको नवीं योजना में और बढ़ाया जायेगा।

मुझे प्रसन्नता है कि सन् 2001 में जब पुन: जनगणना होगी तब साक्षरता की वृद्धि से राजस्थान का देश में सम्मानजनक स्थान होगा।

32. सरकार द्वारा इस वर्ष स्कूली छात्रों के लिये विद्यार्थी बीमा योजना लागू की गई है जिसका सारा व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

33. तकनीकी व्यक्तियों की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार द्वारा आठवीं योजना में तकनीकी शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया है। जहां सातवीं योजना में इन्जीनियरिंग कॉलेजों सहित तकनीकी शिक्षा पर लगभग 20 करोड़ रुपये व्यय किये गये वहीं 1992–97 की अवधि में 155 करोड़ रुपये व्यय किये गये जो पूर्व योजना व्यय से 775 प्रतिशत अधिक है। आठवीं योजना में 32 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व 3 नये पोलिटेक्निक खोले गये।

34. सातवीं योजना में राज्य में केवल एक नया महाविद्यालय खोला गया था। आठवीं योजना में राज्य में 15 नये महाविद्यालय खोले गये जिनमें से 11 महाविद्यालय बालिकाओं के लिये हैं।

35. आठवीं योजना में सरकार ने प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है। सातवीं योजनाकाल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर हुए 121 करोड़ रुपये के आयोजना व्यय की तुलना में आठवीं योजना में 391 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। सरकार ने हर पंचायत में कम से कम एक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। आठवीं योजना की अवधि में 1400 [illegible], 243 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 45 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये। [illegible] के मध्य [illegible] किया गया है। सभी [illegible] महाविद्यालयों में [illegible] विशेषज्ञ चिकित्सक [illegible] सृजित किये गये हैं ताकि [illegible] का निदान हो सके। राज्य के सभी जिलों में [illegible] किया गया है। राज्य के सभी जिलों में [illegible] चिकित्सा [illegible] की गई है।

36. प्रदेश में [illegible] [illegible]। [illegible] सरकार का यह प्रयास होगा कि [illegible] योजना में [illegible] में और [illegible] चिकित्सा की [illegible] सुविधायें उपलब्ध कराई जायें, तथा [illegible] सुनिश्चित किया जावे।

37. आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। 10 वर्ष से अधिक समय से [illegible] में आयुर्वेद चिकित्सकों की नियमित नियुक्ति नहीं हो रही थी। सरकार द्वारा [illegible] से काम कर रहे लगभग 1000 चिकित्सकों की सेवाओं को नियमित किया गया। पिछले वर्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से 704 आयुर्वेद चिकित्सकों की नई भर्ती की गई। [illegible] योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त [illegible]

2 पद, उप-निदेशक के 4 पद, सहायक निदेशक व जिला आयुर्वेद अधिकारी के 12 पद, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सकों के 789 पद व वरिष्ठ कम्पाउण्डरों व नर्सों के 423 पद सृजित/क्रमोन्नत किये गये हैं। जनभागिता सुनिश्चित करने के लिये सरपंचों की अध्यक्षता में औषधालय सलाहकार समितियां बनाई गई हैं।

38. तेजी से बढ़ती हुई जन संख्या हम सबकी चिन्ता का विषय है। प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिये सरकार ने न केवल सहकारी संस्थाओं, नगरपालिकाओं एवं पंचायती-राज संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों के लिये छोटे परिवार की कानूनी बाध्यता की है बल्कि इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिये राजलक्ष्मी, जनमंगल तथा विकल्प सरीखी कई नई योजनाएं भी लागू की हैं। सामाजिक विपणन पर आधारित विकल्प कार्यक्रम के दौसा एवं टोंक जिलों में उत्साहवर्धक परिणाम रहे हैं। जहां पिछले वर्षों में राज्य में दम्पति सुरक्षा दर 1 से 2 प्रतिशत ही प्रतिवर्ष बढ़ी है वहां विकल्प कार्यक्रम के कारण पिछले एक वर्ष में टोंक जिले में यह वृद्धि 10 प्रतिशत व दौसा जिले में 5 प्रतिशत रही है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को सामाजिक विपणन पद्धति के आधार पर चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिये जनमंगल योजना को सभी जिलों में लागू किया जायेगा। इसके अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत में एक दम्पति का चयन कर उन्हें परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य स... प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं उनके मा... निरोध के साधन इच्छुक ...

उपलब्ध कराये जायेंगे। 10 मरुस्थलीय जिलों में 109 करोड़ रुपयों की भारत जनसंख्या परियोजना—IX को लागू किया गया है। सरकार का प्रयास है कि 2011 तक 7 करोड़ की आबादी के स्तर पर राज्य में जनसंख्या का स्थिरीकरण हो। मुझे विश्वास है कि आप सब इस लक्ष्य की पूर्ति में सरकार को पूरा सहयोग देंगे।

39. राज्य को पोलियो मुक्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1995–96 से राज्य में पल्स पोलियो अभियान प्रारम्भ किया गया है। जनता की सक्रिय भागीदारी से इस अभियान के प्रथम चरण में राज्य में 51 लाख बच्चों एवं द्वितीय चरण में 72 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। वह दिन दूर नहीं जब राजस्थान इस बीमारी को जड़ से समाप्त कर देगा।

40. आठवीं योजना में पेयजल योजनाओं पर 1643 करोड़ रुपये का व्यय किया गया जबकि सातवीं योजना में 595 करोड़ रुपयों ही खर्च किया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 10,568 अतिरिक्त गांवों एवं ढाणियों में पेयजल की व्यवस्था की गई जबकि इसके पूर्व के 5 वर्षों में केवल 8963 अतिरिक्त गांवों एवं ढाणियों में ही पानी पहुंचाया गया था। चालू वर्ष में 3000 से भी अधिक गांवों व ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। अगली योजना में पेयजल उपलब्ध कराने पर और भी अधिक ध्यान दिया जायेगा।

... क दोहन के फल-
... गिरता स्तर

यह सबकी चिन्ता का कारण है अतः यह आवश्यक हो गया है कि उन क्षेत्रों में जहां पानी की विशेष कमी है पानी के उपयोग पर नियन्त्रण किया जाय। इस बारे में प्रस्तावित कानून का एक मसौदा तैयार किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं तथा कृषि में रुचि रखने वाले लोगों के इस बारे में विचार मांगे जा रहे हैं। इसके बाद विधान सभा में विचारार्थ बिल प्रस्तुत किया जायेगा। जल के संरक्षण तथा पुनः उपयोग पर नवीं योजना में विशेष ध्यान दिया जायेगा। सरकार द्वारा एक जल नीति बनाई जा रही है जिसमें जल संरक्षण, जल के पुनः उपयोग, जल दोहन, नियंत्रण, जल के कुशलतम उपयोग आदि के बारे में राज्य की नीति, दिशा व कार्यवाही के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

42. जल के संरक्षण एवं जल दोहन पर राज्य सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। सातवीं योजना में हुए 621 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में आठवीं योजना में 1727 करोड़ रुपये सिंचाई कार्यों पर खर्च किये गये। आठवीं योजनाकाल में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 2.91 लाख हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई कार्यों के द्वारा 75.91 हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई। सिंचाई व्यवस्था में किसानों की भागीदारी हेतु योजना बनाकर विशेष प्रयास किये गये हैं। इसी कार्य पर कोटा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को इस वर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

43. इन्दि...

क्षेत्र में जल...

...सेम की समस्या का निराकरण करने के लिए ट्यूबवैल खोदने, बायोड्रेनेज आदि की व्यवस्था की गई है। नवीं योजना में इस पर विशेष ध्यान देना होगा।

44. राज्य में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से महिला विकास कार्यक्रम को आठवीं योजना में समस्त जिलों में लागू कर दिया गया है। इस समय राज्य में 179 समेकित बाल विकास परियोजनाएं चल रही हैं। 66 अतिरिक्त समेकित बाल विकास परियोजनाओं के स्वीकृत हो जाने के साथ अब राज्य के सभी विकास खण्डों में समेकित बाल विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति हो सकेगी।

45. पंचायत राज संस्थाओं व नगरपालिकाओं में आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को आगे लाने की जो महत्वपूर्ण शुरूआत हुई थी उसको राजकीय नियुक्तियों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर और आगे बढ़ाया गया। सेवा नियमों में संशोधन कर महिलाओं के लिए नियुक्तियों में 20 प्रतिशत का आरक्षण कर दिया गया है। पुलिस विभाग में आरक्षण 10 प्रतिशत रखा गया है।

46. राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थान है। आठवीं योजना में पर्यटन विकास पर 51 करोड़ रुपये व्यय किये गये जबकि सातवीं योजना में 9 करोड़ रुपये ही व्यय किये गये थे। बड़ी रेल लाइन पर नई 'पैलेस ऑन व्हील्स' भी ... लोकप्रिय हुई है। कई अन्य ... राजस्थान का अनुकरण कर ... व्हील्स की तरह ही रेलगाड़ियां

चलाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रस्तावित पर्यटन नीति पर विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इन पर विचार करके सरकार शीघ्र ही पर्यटन नीति घोषित करेगी।

47. पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए 574 करोड़ रुपये की पर्यटन विकास योजना ओ. ई. सी. एफ. जापान भेजी गई है। आशा है इस योजना की स्वीकृति अगले वर्ष तक प्राप्त हो जायेगी।

48. राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थित दुर्ग, मन्दिर व धर्मस्थान पर्यटकों को बरबस आकर्षित करते हैं। सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने चरणबद्ध रूप से इन स्थानों के विकास हेतु 184 लाख रुपये व्यय किये हैं। नागौर दरगाह के विकास व सौन्दर्यीकरण के लिए 47 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इसी प्रकार आमेर महलों के संरक्षण हेतु 2.61 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। चालू वर्ष में इस पर 45 लाख रुपये खर्च किये जाने हैं। अजमेर में तारागढ़ क्षेत्र के विकास का भी निर्णय लिया गया है।

49. प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप हम सबके लिये पूजनीय और श्रद्धा के पात्र हैं। 400 वर्ष पूर्व 19 जनवरी, 1597 को उदयपुर जिले के चावण्ड गांव में महाराणा प्रताप का निधन हुआ था। सरकार ने 19 जनवरी, 1997 से 19 जनवरी, 1998 तक "महाराणा प्रताप स्मृति वर्ष" मनाने का निश्चय किया है। चावण्ड में महाराणा प्रताप की समाधि तक पहुंचने के लिए एक पुल का निर्माण किया गया है। हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप का राष्ट्रीय स्मारक बनाने का निर्णय भी राज्य सरकार ने लिया है। इसमें सरकार समाज के सभी वर्गों तथा अन्य राज्यों का भी सहयोग लेगी। हल्दीघाटी को पुनः अपने मूल स्वरूप में लाने का प्रयास किया जा रहा है। मेवाड़ काम्पलेक्स की योजना पिछले कई वर्षों से अधरझूल में थी। इस वर्ष मेवाड़ काम्पलेक्स के विकास हेतु लगभग 93 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे।

50. राजस्थान में सड़कों की कमी है अतः आठवीं योजना में सड़क निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। सातवीं योजना में जहां सड़क निर्माण पर 90 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई थी वहीं आठवीं योजना में 702 करोड़ रुपये व्यय किये गये। सातवीं योजना में 2320 गांव ही सड़कों से जोड़े गये थे। इसकी तुलना में आठवीं योजना में 5100 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया। पूर्व योजना में बनाई गई 5720 कि. मी. सड़क निर्माण की तुलना में आठवीं योजना में 14316 कि. मी. सड़कों का निर्माण किया गया। 1994 में राज्य सरकार ने सड़क नीति की घोषणा की जिसके अन्तर्गत सभी पंचायत मुख्यावासों को तथा 1000 से अधिक की आबादी वाले गांवों को सन् 2000 तक सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के बनने के बाद 1690 पंचायत मुख्यावासों व 1000 की आबादी के 910 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। अब 108 पंचायत मुख्यावासों व 1000 की आबादी के 3240 गांवों को सड़कों से जोड़ना शेष है। आशा है अधिकांश जिलों

में इस लक्ष्य की उपलब्धि उक्त अवधि से पहले कर ली जायेगी ।

51. 750 करोड़ रुपयों की एक सड़क निर्माण परियोजना के लिये विश्व बैंक ने सहायता देने हेतु सिद्धान्ततः सहमति प्रदान कर दी है तथा परियोजना बनाने के लिये तकनीकी सहायता भी उपलब्ध हो गई है। इस योजना की क्रियान्विति वर्ष 1998 में शुरू हो जाने की आशा है। संस्थागत वित्त एवं निजी क्षेत्र की सहायता से पुल तथा उप मार्ग बनाने की सरकार ने विशेष पहल की है। निर्माण, संचालन एवं हस्तान्तरण के आधार पर किये जाने वाले इन कार्यों के लिये राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम ने 72 करोड़ रुपये के कार्य प्रारम्भ किये हैं। इसके लिये हुडको से 34 करोड़ रुपयों की सहायता प्राप्त की है। इसी आधार पर निजी क्षेत्र को 85 करोड़ रुपये के पुल व उप मार्ग निर्माण के काम सौंपे गये हैं। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इतनी बड़ी संख्या में संस्थागत वित्तीय कार्य करने वाला देश में राजस्थान ही एक मात्र प्रदेश है।

52. परिवहन व्यवस्था में सुधार हेतु विशेष प्रयास किये गये हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को सातवीं योजना के अन्त तक 37 करोड़ रुपये की संचित हानि हुई थी। आठवीं योजना में प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार करके इस हानि की पूर्ति कर निगम को 25 करोड़ रुपये के सकल लाभ में लाया गया है। वर्तमान में लाभ में चलने वाले देश के 2–3 निगमों में राजस्थान पथ परिवहन निगम की गिनती होती है।

53. विशिष्ट योजना संगठन एवं एकीकृत ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों पर सातवीं योजना में 517 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना में 2321 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। 1992–97 की अवधि में 42.26 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आधार पर भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 87–88 से 93–94 की अवधि में राजस्थान में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 34.5 से घटकर 27.7 रह गया है। यह प्रदेश के त्वरित विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का परिचायक है। विभिन्न रोजगार परक योजनाओं के अतिरिक्त सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने का विशेष प्रयास किया है।

54. विकास में जनभागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के लिये अपना गांव अपना काम व सहभागी नगर विकास सरीखी नई योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। इन योजनाओं का सर्वत्र स्वागत हुआ है। आठवीं योजना में इन पर 114 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई है तथा 58 करोड़ रुपये जन-सहयोग से उपलब्ध हुए हैं। तीस जिले तीस काम योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष स्थानीय विकास के किसी एक कार्य को चिन्हित कर विशेष विनियोग किया जाता है। इस योजना पर अब तक 101 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है। इस वर्ष 30 नये चिन्हित

खण्ड आश्वासित रोजगार योजना में लिये जाने से अब राज्य में 204 विकास खण्डों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आठवीं योजना में लागू की गई नई योजनाओं में डांग क्षेत्र विकास तथा ग्रामीण विकास केन्द्र योजनाएँ भी शामिल हैं।

55. माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि आठवीं योजना काल में राज्य में औद्योगिक शांति बनी रही। इस में अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की अच्छी स्थिति है। बाल श्रम उन्मूलन के लिये जयपुर व उदयपुर जिलों में 2 परियोजनाएँ लागू की गई हैं। उद्योगों में राज्य के निवासियों के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार द्वारा अभी हाल ही में जारी निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार से विभिन्न सुविधाएँ लेने वाले उद्योगों के लिये भविष्य में यह आवश्यक होगा कि वे 70 प्रतिशत अकुशल श्रमिकों तथा 50 प्रतिशत कुशल श्रमिकों का नियोजन स्थानीय व्यक्तियों से ही करें।

56. विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी के विकास पर आठवीं योजना में 6.47 करोड़ रुपया व्यय किया गया। उद्यमियता व प्रोद्योगिकी विकास के कई नये कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये तथा सुदूर संवेदन केंद्र व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। इसकी सहायता से भूमि उपयोग के एटलस बनाये जा रहे हैं जिसका उपयोग जलग्रहण विकास विभाग एवं वन विभाग द्वारा किया जायेगा। अंतरिक्ष विभाग की सहायता से 18 जिलों के संसाधन मानचित्र बनाने का काम प्रगति पर है।

57. सरकार ने जनजातियों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। जनजाति विकास पर सातवीं योजना में हुए 431 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में आठवीं योजना में 1535 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्थानीय जन जातियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाहन चालक, वनरक्षक, तृतीय श्रेणी अध्यापक, पुलिस कांस्टेबल, कनिष्ठ लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कम्पाउण्डर, नर्स, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तृतीय के पदों पर 45 प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया है।

58. अनुसूचित जाति कल्याण पर आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1921 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के 8,43,500 व्यक्तियों को चालू पंचवर्षीय योजना में लाभान्वित किया गया। इस अवधि में 83 नये छात्रावास खोले गये। छात्रावासों में रहने वाले बच्चों पर व्यय की जाने वाली राशि को बढ़ाकर 350 रुपये किया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मेधावी छात्रों के लिये आवासीय विद्यालय स्थापित करने की 90 करोड़ रुपये की एक महती योजना बनाई गई है जिसकी क्रियान्विति अगले वर्ष से होना सम्भावित है।

59. राजस्व प्रशासन राज्य प्रशासन का मेरुदण्ड है। सरकार ने राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के लिये योजनाबद्ध रूप से प्रयास किये हैं। सरकार द्वारा इस योजना पर पिछले दो वर्षों में 7 करोड़

रुपये व्यय किये जा चुके हैं। इसके अन्तर्गत 5 अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय 7 उपखण्ड, 17 सहायक जिला कलक्टर न्यायालय, 11 क्रमोन्नत तहसीलें, 5 नई तहसीलें व 15 उप तहसीलें खोली गई हैं।

60. इस वर्ष 492 सैनिकों को 9086 बीघा भूमि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आवण्टित की गई। द्वितीय विश्वयुद्ध में भाग लेने वाले 6472 भूतपूर्व सैनिकों व विधवाओं को 100 रुपये मासिक पेन्शन स्वीकृत की गई है। पूर्व सैनिकों के प्रतिभावान बच्चों को भी छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई है। एमलगमेटेड फण्ड में उपलब्ध राशि में वृद्धि कर उसे 5 करोड़ रुपये कर दी गई है।

61. देवालयों के सुधार के लिये भी विशेष प्रयास किये गये। राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित 60 मन्दिरों को चिन्हित कर उनके जीर्णोद्धार की एक योजना तैयार की गई है। इनमें से 12 मन्दिरों पर कार्य शुरू कर दिया गया है। सहायता प्राप्त मन्दिरों के भोग एवं नैवेद्य आदि के लिये उपलब्ध राशि में चार गुना वृद्धि कर दी गई है।

62. प्रदेश में इस वर्ष सामान्य से अच्छी बरसात हुई। अलवर, भरतपुर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, झुन्झुनू व धौलपुर जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी। बाढ़ पीड़ितों को तत्काल प्रभाव से सहायता पहुंचाई गई। इस कार्य हेतु वायु सेना एवं थल सेना की मदद भी ली गई। राज्य सरकार ने भारत सरकार को दिये ज्ञापन में बाढ़ राहत कार्यों के लिये 375 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की। यद्यपि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की स्थिति देखी और केन्द्रीय अध्ययन दल ने भी बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिये दौरा किया लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार से इस बारे में कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। सरकार ने अपने स्तर पर बाढ़ राहत कार्यों पर अब तक 33 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं।

63. कुछ जिलों में वर्षा की कमी के कारण फसलों को काफी हानि हुई है। इन क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सरकार द्वारा रोजगार, पेयजल आदि का प्रबन्ध किया जायेगा।

64. प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति संतोषप्रद रही और पूर्व वर्ष की तरह इस वर्ष भी साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सौहार्द्र का वातावरण बना रहा। प्रदेश में कोई बड़ी साम्प्रदायिक घटना भी नहीं घटी। सीमावर्ती जिलों में 54 करोड़ रुपये मूल्य की तस्करी सामग्री व 76 कि. ग्रा. आर. डी. एक्स. बरामद किया गया। वर्ष भर में 72 डाकुओं को गिरफ्तार किया गया और 6 डाकुओं को मार गिराया गया।

65. पुलिस के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण योजना पर अब तक 32 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। इस वर्ष के लिये 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

66. इस योजना में अब तक 1 पुलिस अधीक्षक, 18 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों,

34 उप पुलिस अधीक्षकों, 113 पुलिस निरीक्षकों, 295 उप पुलिस निरीक्षकों, 360 सहायक उप निरीक्षकों, 467 हैड कान्सटेबिलों तथा 1706 कान्सटेबिलों के पद सृजित किये गये।

67. प्रशासन में दुराचरण की रोकथाम के लिये राज्य अन्वेषण ब्यूरो सक्रिय रहा। चालू वर्ष में 304 प्रकरण दर्ज किये गये। 67 प्रकरणों में राज्य कर्मियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। 136 प्रकरणों में न्यायालयों में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये। 24 प्रकरणों में न्यायालयों द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों को दण्डित किया गया। सरकार द्वारा विभागीय जांच में 46 राजपत्रित अधिकारियों को राज्य सेवा से निष्कासित या अनिवार्य सेवा निवृत्ति करने का निर्णय लिया गया, 36 अधिकारियों को वेतन वृद्धि रोकने, पदावनति आदि की सजा दी गई एवं 15 अधिकारियों की पेंशन रोकी गई।

68. कर्मचारियों की सुविधा के लिये राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की बैंच जोधपुर में भी लगाने का निर्णय लिया गया। न्यायालय से बाहर समझौते के माध्यम से सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तारण हेतु व्यवस्था भी की जा रही है।

69. सातवीं योजना में 88 नये न्यायालय खोले गये थे जबकि आठवीं योजना में 105 न्यायालय खोले गये। चालू वर्ष में 14 चलित न्यायालय, महिला उत्पीड़न प्रकरण से सम्बन्धित 4 विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत 4 न्यायालय तथा 2 अन्य न्यायालय खोले गये।

70. पंचायती राज संस्थाओं के लिये नये नियम प्रसारित किये गये हैं। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को इस वर्ष 53 करोड़ रुपये की एवं नगरपालिकाओं को 9 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

71. इस वर्ष ग्राम सेवकों के 1855 पद भरने की कार्यवाही की गई। राजस्थान विकास सेवा के गठन की प्रक्रिया भी अन्तिम चरण में है।

72. नगर विकास हेतु एक महती परियोजना बनाने के लिये एशियन विकास बैंक से तकनीकी सहायता की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। आशा है 1998 से इस परियोजना की क्रियान्विति हो सकेगी। लघु एवं मध्यम शहरों व कस्बों की विकास योजना के अन्तर्गत 42 शहरों में कार्य कराया जा रहा है। चालू पंचवर्षीय योजना में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा 379 करोड़ रुपये के 29539 मकानों का निर्माण किया गया। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत सातवीं योजना में निर्मित 34023 मकानों की तुलना में आठवीं योजना में दिसम्बर 1996 तक 1.23 लाख मकान बनाये गये। इस कार्यक्रम पर 169 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

73. स्थानीय समस्याओं के लिए नागरिकों को बार बार जिला कार्यालयों

एवं अन्य कार्यालयों में जाना पड़ता है। सरकार ने वर्ष 1997 को जन अभियोग निराकरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जन अभियोगों के निराकरण के लिये जिला कलक्टर पूर्व निर्धारित तिथियों पर, जो अत्यन्त ही आवश्यक कारणों के अलावा नहीं बदली जायेंगी, प्रत्येक त्रैमास में पंचायत समितियों में शिविर लगाकर जन अभियोगों की सुनवाई करेंगे। इन शिविरों में प्राप्त आवेदन पत्रों तथा अभियोगों का मौके पर निस्तारण किया जायेगा। जिन अभियोगों के निस्तारण में समय लगता हो उनके लिये आवेदक को अगली बैठक की तारीख दी जायेगी और उससे पूर्व ही उसके परिवाद का निस्तारण किया जायेगा। इसी प्रकार उप जिला अधिकारी अपने क्षेत्र में दो माह में एक बार प्रत्येक गिरदावर मुख्यावास या अन्य किसी महत्वपूर्ण गांव में पूर्व घोषित तिथि पर समस्या समाधान शिविर लगायेंगे। इन तिथियों को राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं बदला जायेगा।

74. कार्यालयों में दिये जाने वाले परिवादों का पंजीकरण करने, आवेदकों को रसीद देने तथा उनको एक निर्धारित अवधि में निपटाने की व्यवस्था की जायेगी।

75. विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से सरकार ने जनसामान्य को विकास कार्यों के व्यय विवरण के निरीक्षण का अधिकार दिया है। अब कोई भी व्यक्ति 5/– रुपये की फीस जमा कराकर किसी भी विकास कार्य के मस्ट्रोल, वाउचर आदि का निरीक्षण कर सकता है व उसमें से विवरण भी नोट कर सकता है। सामाजिक अंकेक्षण के लिये राज्य में 1985–95 की 10 वर्ष की अवधि में सम्पादित सभी विकास कार्यों का पंचायतवार विवरण विकास पंजिका में तैयार किया गया है और इस विवरण को ग्राम सभाओं में रखा गया है। सामाजिक अंकेक्षण में पाई जाने वाली अनियमितताओं के बारे में आवश्यकतानुसार कार्यवाई की जायेगी।

76. राजकार्य के निष्पादन में राज्य कर्मियों का योगदान महत्वपूर्ण है। जहां एक ओर खराब कार्य करने वाले राज्य कर्मियों को दण्डित किया जाना चाहिए वहीं अच्छा काम करने वाले राज्य कर्मियों का सम्मान किया जाना चाहिये। अतः सरकार प्रत्येक विभाग में अच्छा कार्य करने वाली इकाइयों व राज्यकर्मियों का सम्मान करने की व्यवस्था करेगी। इससे राज्य कर्मियों में अच्छा कार्य करने की भावना जागेगी, जनसामान्य को सुविधा होगी तथा विकास की गति भी बढ़ेगी।

77. जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, आठवीं योजना में राज्य के विकास ने नई करवट ली है। विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्यों का सम्पादन किया गया है। शिक्षा, चिकित्सा, सड़क निर्माण, कृषि, पेयजल आदि सभी क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां अर्जित की गई हैं। सरकार के इन प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है व कई पुरस्कार भी मिले हैं। अन्य राज्य की तुलना में राजस्थान के विकास को लेकर आज हम गौरव का अनुभव करते हैं। त्वरित विकास की राजस्थान की यह स्थिति नवीं योजना में भी बनाये रखने की आज सबसे बड़ी चुनौती है। मुझे विश्वास

है कि माननीय सदस्यों के सहयोग से सरकार व प्रदेश निवासी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और राजस्थान को अगले 5 वर्षों में देश में अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष पंक्ति में लाने में सफल होंगे।

78. नवीं योजना में राज्य के भौतिक संसाधनों का विकास, जल के कुशलतम उपयोग, उत्पादकता वृद्धि, तकनीकी विकास, रोजगार सृजन, प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार, मानवीय संसाधन विकास, सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक विकास आदि पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

79. राज्य में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसी प्रकार सकल प्रजनन दर भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसके फलस्वरूप राज्य में जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। नवीं योजना में मातृ-शिशु कल्याण, पोषाहार, परिवार कल्याण तथा स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। पर्यटन, हस्तशिल्प, ग्रामोद्योग आदि में रोजगार के विशेष अवसर उपलब्ध होते हैं अतः इन पर विशेष विनियोग किया जायेगा। विकास के लिये आवश्यक आधारभूत सुविधाओं पर भी अधिक विनियोग किया जायेगा। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे सरकार को नवीं योजना की रणनीति, प्राथमिकताओं तथा कार्यक्रमों के बारे में अपने बहुमूल्य सुझाव दें।

80. माननीय सदस्यगण, इस सत्र में बजट प्रस्ताव एवं अनुदान मांगों के अतिरिक्त निम्न विधेयक आपके समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे :

1. राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 1997
2. राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1997।
3. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1997।
4. राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1997।
5. जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1997।
6. राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1997।
7. राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन), 1997।

81. आज राजस्थान की गिनती देश में एक सुशासित प्रदेश के रूप में होती है। विभिन्न स्थानों पर राज्य में हो रहे नवाचारों के बारे में चर्चा की जाती है। विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक, यूनिसेफ, स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्थान आदि कई अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं राज्य में हो रहे विकास से प्रभावित हुई हैं। उन्होंने राज्य के विकास में सहयोग भी दिया है। राज्य में त्वरित विकास के लिये प्रत्येक राजस्थानी गौरव महसूस करता है। आपके माध्यम से विकास के बारे में प्रदेश की जनता की आकांक्षा के स्वर मुखरित होते हैं। आपसी सद्भाव की भावना एवं अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए पारस्परिक सहयोग का लक्ष्य लेकर काम करें,

राज्य के विकास का पथ प्रशस्त करें तथा प्रदेश की गौरवमयी परम्परा को और आगे बढ़ायें, यही मेरी कामना है ।

82. आप सब इस धरती के हित और राज्य के उन्नयन के लक्ष्य को लेकर इस सदन में उपस्थित हुए हैं । अथर्ववेद के मनीषी के उन शब्दों के साथ मैं आप सबको अपनी शुभकामना प्रेषित करता हूं जो उन्होंने इस भूमि के विकास के लक्ष्य को सम्बोधित करके कहे थे :–

ये ग्रामा यदरण्यं या सभा अधिभूम्याम ।
ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते ।।

हम गांव, अरण्य या कहीं भी मिलें, सभाओं में इकट्ठे हों या समारोहों में, आपसी मतभेदों को मिटाने के लिये वाद–विवाद करें या समितियों में विचार विमर्श करें– हे मातृ भूमि, हमें यही आशीर्वाद दो कि हम सर्वदा वही बात बोलें जो अन्ततः तुम्हारे लिये हितकर हो ।

: जयहिन्द :